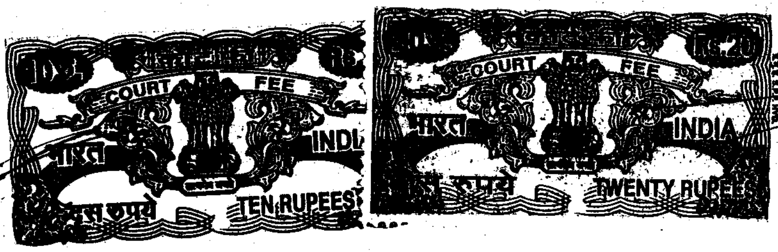

6

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (कैंप भोपाल)

रा.निग.क्रमांक R 1012-PBR/17 /2016

कालूराम चौकीदार (मृत) दिनांक 06.06.2015

वैध वारिसान-

1. श्रीमती गायत्रीबाई आयु 37 वर्ष बेवा कालूराम चौकीदार
2. सूर्यकांत आयु 16 वर्ष आत्मज स्व.श्री कालूराम मीणा
3. कु.निकिता आयु 12 वर्ष आत्जम स्व.श्री कालूराम
4. कु.सिमरन आयु 09 वर्ष पुत्री स्व.श्री कालूराम

क्रमांक 2,3,4 सभी नाबालिक पुत्र/पुत्रीगण स्व.कालूराम मीणा
संरक्षण माता श्रीमती गायत्रीबाई बेवा कालूराम चौकीदार
मूल निवासी-ग्राम चोरमऊ तहसील गौहरगंज,
वर्तमान निवास घाटखेड़ी तहसील गौहरगंज
जिला-रायसेन (म.प्र.) ------निगरानीकर्ता/अपीलार्थी

23-3-17

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा-कलेक्टर महोदय,रायसेन -----उत्तरदाता/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

महोदयजी,

न्यायालय अपर आयुकत महोदय भोपाल संभाग-भोपाल के समक्ष प्रश्नाधीन प्रकरण क्रमांक 341/अपील/13-14 कालूराम (मृत) वैध वारिसान विरूद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 08.03.2016 से दुखी होकर आदेश की जानकारी होने पर ज्ञान के दिनांक 18/12/2016 से आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर समय सीमा में यह निगरानी ठोस तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर सादर प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1012–पीबीआर/2017 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.4.2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये चौकीदार ग्राम में निवास नहीं करता है, जबकि चौकीदार का ग्राम में निवास करना अनिवार्य आवश्यकता है, आवेदकगण की अपील निरस्त की गई है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	